कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी- सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता-आदेश/15508-15511 /2018-19 दिनांक 23/10/18

प्रबन्धक,

लिटिल फलावर स्कूल,
विकास खण्ड मिठवल,
सिद्धार्थनगर।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 03-08-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, **मैं लिटिल फलावर स्कूल, विकास खण्ड मिठवल, सिद्धार्थनगर, उ०प्र० (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 11-10-2018 से 10-10-2021 तक तीन वर्ष (तीन शैक्षिक सत्र) की अवधि के लिए कक्षा L.K.G. से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।**

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः-

01- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-05 के पश्वात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

03- विद्यालय कक्षा-01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के निर्धारित प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों क अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05- सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

06- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और अधिनियम की धारा-15 उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
vi. अध्यापकों को भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
vii. अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और,
viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

07- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08- विद्यालय अधिनियमों की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष

Principal
Little Flower School, Bansi

MANAGER
Little Flower School
Bansi-Siddharth Nagar

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पाठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

09- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।

10- विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोर्ड संख्यांक C-43/15-19 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16- सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(राम सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

पृ०सं०: बेसिक/मान्यता-आदेश/ /2018-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

01- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
02- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मण्डल गोरखपुर/बस्ती।
03- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सिद्धार्थनगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

Principal
Little Flower School, Bansi

MANAGER
Little Flower School
Bansi-Siddharth Nagar